जुलाई 2024
वर्ष 38 संख्या 7
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस–बीजेपी सरकार के हमलों का विरोध करें

नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा करो
एनटीए को भंग करो
शिक्षा को राज्य सूची में बहाल करो

केंद्र सरकार द्वारा आयोजित नीट–यूजी परीक्षा देश के छात्रों के भविष्य के प्रति सरकार की उपेक्षा बल्कि अपराध को दर्शाती है। देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा को लेकर विवाद, देश में मेडिकल शिक्षा वास्तव में शिक्षा के प्रति आरएसएस–बीजेपी शासकों की चिंता की घोर कमी को दर्शाता है। इस परीक्षा में 23,33,297 छात्र शामिल हुए थे और नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, जिसमें 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। विसंगतियां बहुत बड़े पैमाने पर हैं और बड़ी संख्या में छात्र अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपने भविष्य की उम्मीद खो रहे हैं। पूरे देश में छात्र इन नतीजों को रद्द करने तथा इस परीक्षा को दोबारा करने की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं।

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रही है कि नतीजे रद्द करना और परीक्षा दोबारा कराना उन छात्रों के प्रति कठोरता होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी और ईमानदारी से परीक्षा में सफल हुए हैं। यह निश्चित रूप से ऐसे छात्रों के लिए कठिन होगा, लेकिन यह केंद्र सरकार है, जिसकी मशीनरी पूरी तरह से भ्रष्ट है और जो छात्रों के सामने उत्पन्न संकट के लिए जिम्मेदार है। इस तर्क की आड़ में पूरी परीक्षा प्रक्रिया को भ्रष्टाचार के संदेह में रहने देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को जिनमें सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी घोटाले के केंद्र में शामिल हैं, न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए ना कि कुछ सीमित लोगों विशेषकर गैर महत्वपूर्ण लोगों पर ही कार्रवाई करके मामले को खत्म कर दिया जाए।

पूरी परीक्षा में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार का प्रमाण पूरे भारत में हो रही गिरफ्तारियों से मिलता है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में धर पकड़ हो रही है। इसलिए यह कोई किसी स्थान पर पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि पेपर लीक के मामलों की पूरे देश में बाढ़ आई हुई है, जिसके लिए परीक्षा को रद्द करने और इसे दोबारा कराने की जरूरत है। अधिकांश छात्र परिणामों से इतने स्तब्ध हैं कि वह अपने परीक्षा परिणामों की विसंगतियों को व्यक्त करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

आरएसएस–बीजेपी सरकार देश में शिक्षा प्रणाली और शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, जो वैसे भी पक्षपात, भेदभाव और भ्रष्टाचार से ग्रसित रहे हैं। आरएसएस– बीजेपी ने इसकी कमियों और विफलताओं को संबोधित नहीं किया, बल्कि असहमति को रोकने और वैज्ञानिक जिज्ञासा की खोज के अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पूरे ढांचे को ही कमजोर कर दिया है। आरएसएस बीजेपी सरकार की शिक्षा नीति में तीन बातों – व्यवसायिकरण, संप्रदायिकरण और केंद्रीयकरण – का निरंकुश पालन किया गया है।

आरएसएस–बीजेपी की शिक्षा नीति का पूरा जोर इसकी वैज्ञानिक सामग्री को कमजोर करना और इसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर देना है। शिक्षा की उच्च और बढ़ती लागत इसे आम लोगों की पहुंच से दूर करती जा रही है। उच्च शिक्षा पर अमीरों का एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है और ऊपर से शैक्षणिक संस्थानों में उत्पीड़ित वर्गों के साथ व्यवस्थित भेदभाव किया जाता है। शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा को केवल अमीरों और शक्तिशााली लोगों की पहुंच तक सीमित किया जा रहा है।

नीट यूजी परीक्षा का घोटाला बहुत बड़ा है परंतु पूरे भारत और यहां तक कि राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी बार–बार पेपर लीक होने की घटनाएं आम हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को आउटसोर्स किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के लिए भ्रष्ट माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा के संचालन में बड़े कोचिंग संस्थानों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, जो बेइंतहा पैसा बनाने के लिए सरकारों के साथ गठबंधन करते हैं। उनके बीच पैसे कमाने की होड़ ने पूरी परीक्षा प्रणाली को खोखला कर दिया है पूरी प्रक्रिया छात्रों को तोते की तरह रटाने और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बर्बाद कर दे रही है खासकर यह देखकर कि उनके परिवार अपनी आय और अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उनकी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और यहां तक की अपनी संपत्तियों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

नीट–यूजी 2024 : छात्र संगठनों का आवाह्न

एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे

राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (स्नातक), या नीट–यूजी, 2024 के परिणाम जो मंगलवार, 4 जून को जारी किए गए थे, ने बहुत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। कुल 67 उम्मीदवारों ने अखिल भारतीय रैंक 1 प्राप्त किया है !

इसके अलावा, छात्रों के एक बड़े हिस्से को पूरे अंक (720) प्राप्त हुए हैं, जिससे नीट पेपर लीक घोटाले की संभावना की खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित है। 718 या 719 अंकों वाले उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड भी दिखाई देने लगे हैं।

चूंकि एनईईटी परीक्षा की अंकन योजना गलत जवाब के लिए एक अंक काटती है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक प्रदान करती है, इससे यह चिंता पैदा हो गई कि परीक्षा की स्कोरिंग कैसे की गयी है। इसलिए, यदि 720 का पूर्ण स्कोर प्राप्त करने के बाद एक प्रश्न अनुत्तरित रहता है, तो अगला संभावित स्कोर 716 होना चाहिए, यदि एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो स्कोर 715 होना चाहिए।

एक ही केंद्र के आठ छात्रों ने नीट मेरिट सूची में 720 अंक प्राप्त किए हैं, ऐसी घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने की, जिससे विवाद और बढ़ गया है।

एनटीए ने स्पष्ट किया कि रसायन विज्ञान और भौतिकी में देखे गए पैटर्न को जारी रखते हुए, ग्रेड 10 और 12 के लिए एनसीईआरटी जीवविज्ञान पाठ्यपुस्तकों से भी महत्वपूर्ण विचारों को हटा दिया गया है। नतीजतन, हर साल अधिक छात्र एनईईटी परीक्षा में 720/720 का सही स्कोर प्राप्त करते हैं, जो परीक्षा के कठिनाई स्तर में गिरावट का संकेत देता है। यह एनसीएफ 2023 पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी है।

विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि बढ़ती नीट प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्ट परिणाम होने के बावजूद सीट पाने में असमर्थता के कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ छात्र दबाव में होने पर सामाजिक अलगाव या आत्महत्या जैसे कठोर तरीकों की ओर रुख कर सकते हैं।

एनटीए ने स्पष्ट करने की कोशिश की "एनटीए को नीट (यूजी) 2024 के उम्मीदवारों से कुछ अभ्यावेदन और अदालती मामले प्राप्त हुए हैं, जिसमें 05 मई 2024 को परीक्षा के संचालन के दौरान समय की हानि की चिंता जताई गई थी। ऐसे मामलों/प्रतिनिधित्वों पर एनटीए द्वारा विचार किया गया था और सामान्यीकरण फॉर्मूला, जिसे माननीय शीर्ष न्यायालय द्वाराओकर 13.06.2018 के अपने फैसले में स्वीकार कर तैयार और अपनाया गया है, को नीट (यूजी) 2024 के उम्मीदवारों को हुए समय के नुकसान को संबोधित करने के लिए लागू किया था, एनटीए ने कल जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा। "ऐसे उम्मीदवारों को, जिन्हें समय का नुकसान हुआ को अनुग्रह (गेस) अंकों के साथ मुआवजा दिया गया, तो उम्मीदवार के अंक 718 या 719 भी हो सकते हैं," स्पष्टीकरण में आगे कहा गया।

बहरहाल, चिकित्सा पेशेवरों और स्वास्थ्य अधिवक्ताओं सहित कई व्यक्तियों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के स्पष्टीकरण के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं. उन्होंने उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है।

जैसे अनुत्तरित प्रश्न हैं. 1. आपने किन विचारों के आधार पर अनुग्रह अंक प्रदान करने का निर्णय लिया? 2. अनुग्रह बिंदु प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणनाओं के परिणाम और औचित्य कहां हैं? कई टॉपर्स एक ही सेंटर के क्यों हैं? पेपर पटना में क्यों लीक हुआ (या एक जगह जहां इसे पकड़ा गया और रिपोर्ट किया गया)।

भारत में जो सबसे बड़ी परीक्षा दी जा रही है, वह एक बड़ा घोटाला बन गई है। युवा उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है और एनटीए इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

हम मांग करते हैं कि इस तरह की परीक्षाएं सावधानी से, गंभीरता से इस बात को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, मजाक की तरह नहीं। एनटीए अपने द्वारा आयोजित लगभग सभी परीक्षाओं में लगातार गलती करता रहा है। यह पिछले साल सीयूईटी, पीजी एंट्रेंस आदि में देखा गया था। ऐसे में प्रवेश के लिए एकल केंद्रीय परीक्षा की अवधारणा अनुचित है और हमने देखा है कि कैसे दूरदराज के इलाकों में राज्य बोर्डों के छात्र गंभीर नुकसान में हैं। यह एनईपी 2020 की विफलता और इसके कार्यान्वयन का पर्याप्त संकेत है।

पीडीएसयू–पीएसयू
अखिल भारतीय समन्वय

ल

अखिल भारतीय आदिवासी फोरम का आवाह्न

30 जून को संथाल हूल दिवस मनाओ!
हमारी संस्कृति, भाषा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ो!
हमारे वनों और प्राकृतिक संसाधनों की कारपोरेट लूट का विरोध करो!

30 जून हमारे देश के ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। इसे इतिहास में संथाल हूल दिवस या संथाल विद्रोह दिवस के नाम से जाना जाता है। 1855 में इस ऐतिहासिक दिन पर, संथाल परगना की राजमहल पर्वत श्रृंखला में संथाल आदिवासियों ने स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू किया, जो अंग्रेजों के सक्रिय समर्थन से संथाल परगना के आदिवासियों का शोषण और लूटपाट कर रहे थे।

उन दिनों जमींदार जनजातीय लोगों को उनके श्रम का शोषण करने के लिए दादन या बंधुआ मजदूर के रूप में रखते थे। वे अलग–अलग बहानों से आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, यहां तक कि इन शोषकों द्वारा आदिवासी महिलाओं का भी शोषण किया जाता था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों की उपजाऊ जमीन छीनकर उस क्षेत्र में रेलवे लाइनें बिछाना शुरू कर दिया था। इससे आम लोगों, विशेषकर आदिवासियों में तीव्र आक्रोश पैदा हो गया था।

इस स्थिति ने सिद्धू और कानू को उत्तेजित कर दिया था और उन्हें अपने लोगों की स्थिति को बदलने के लिए कुछ करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने लोगों से सलाह–मशविरा किया और उन्हें संघर्ष के लिए एकजुट करना शुरू किया। बड़ी–बड़ी बैठकें आयोजित की गईं और सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि इस शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और इसे कोलकाता में रह रहे ब्रिटिश बड़ा लाट के संज्ञान में लाएंगे। उन्हें यह भ्रम था कि बड़ा लाट उनकी समस्या का समाधान कर देगा क्योंकि स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी उनकी शिकायतें सुनने के बजाय जमींदारों और साहूकारों का समर्थन कर रहे थे।

30 जून 1855 को उन्होंने अपना ऐतिहासिक संघर्ष कार्यक्रम प्रारम्भ किया। सिद्धू–कानू के नेतृत्व में "चलो कलकत्ता" मार्च में हजारों आदिवासियों के साथ–साथ कई स्थानीय गैर–आदिवासी गरीब लोगों ने भाग लिया। लेकिन जमींदार–साहूकार वर्ग ने ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से इस यात्रा को रास्ते में ही रोकने की साजिश रची। उन्होंने सिद्धू और कानू समेत मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इससे संथाल भड़क उठे, जिससे पुलिस और स्थानीय शोषकों के समर्थकों के साथ झड़प हुई और उनके 19 लोग मारे गए। इस घटना ने संथाल विद्रोह की आग भड़का दी जो लगातार अगले आठ महीनों तक जारी रही। अंग्रेज इस ऐतिहासिक विद्रोह को दबाने में सफल हो सके। ब्रिटिश सिपाहियों ने सिद्धू–कानू की बहन और विद्रोह की प्रमुख महिला नेता फूलो मुर्मू के साथ बेरहमी से बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी और उनके शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। फरवरी 1856 के पहले सप्ताह में, कानू को फाँसी दिए जाने के एक सप्ताह बाद, ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई में अंततः, सिद्धू की मौत हो गई।

यद्यपि ऐतिहासिक संथाल विद्रोह को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने बेरहमी से कुचल दिया था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। यह अंग्रेजों के सक्रिय समर्थन से जमींदार–साहूकारों द्वारा सामंती शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आदिवासियों का प्रतिरोध था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम और बाद में ऐतिहासिक तेभागा किसान आंदोलन में इसका योगदान उल्लेखनीय था। इस विद्रोह के 167 वर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के हमारे देश से चले जाने के 76 वर्ष बाद भी संथाल सहित हमारे आदिवासियों की स्थिति आज भी खराब बनी हुई है। 1947 के बाद के शासनकाल में भी हम आर्थिक रूप से शोषित, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित और विकासात्मक रूप से उपेक्षित रहे हैं। हम अभी भी भारतीय समाज का सबसे गरीब वर्ग बने हुए हैं। हमारी जमीन और जंगल पर हमारे अधिकार, जो अतीत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासकों ने छीन लिए थे, अभी भी बहाल नहीं हुए हैं। 1947 के बाद भी भारतीय शासक वर्ग ने हम आदिवासियों को, अपने जंगल पर हमारा वैध अधिकार देने के बजाय हमें धोखा ही दिया है। बल्कि विकास के नाम पर हमारी हजारों हेक्टेयर वन भूमि को जबरन छीन लिया गया है और हमारे लाखों लोगों को अपनी जमीन, जंगल और आजीविका से हमेशा के लिए जबरन विस्थापित कर दिया गया।

संथाल हूल दिवस 30 जून को ए.आई.टी.एफ. के आवाह्न पर आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में कन्नावरम में आयोजित रैली

हालांकि हमारे लगातार संघर्ष के कारण वन अधिकार कानून 2006 में बना, लेकिन इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में जिस ऐतिहासिक अन्याय का उल्लेख किया गया था वह आज भी जारी है। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमारे अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं? बड़े कॉरपोरेट्स के हितों की पूर्ति के लिए मौजूदा वन और पर्यावरण अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है। एफआरए में सुनिश्चित ग्रामसभा के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। 2022 में, कारपोरेट के लिए वन भूमि की अनुमति देने में ग्रामसभा को दरकिनार करने के लिएघ सरकार ने वन संरक्षण नियम जबरन पारित कर दिए थे। पिछली संसद में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम–1980 में संशोधन कर नया वन संरक्षण विधेयक पारित कराया। इसने हमारी वन भूमि के 1/5 हिस्से को संरक्षण नियमों से बाहर कर दिया है, जिससे सरकार को इस विशाल वन भूमि को बड़े कॉरपोरेट को सौंपने की अनुमति मिल गई है। बदलाव यहां तक है कि अब निजी कंपनियों को भी जंगल के अंदर चिड़ियाघर, सफारी और अभयारण्य बनाने के लिए वन भूमि के बड़े हिस्से आवंटित किए जाएंगे। इससे न केवल हमारी वन संपदा छिन जाएगी बल्कि हमें हमारे आवास से भी बलपूर्वक बेदखल कर दिया जाएगा। यहां तक कि पिछली संसद द्वारा पारित जैव विविधता विधेयक भी पतांजलि जैसी कंपनियों को वन भूमि का बड़ा हिस्सा सौंप देगा, जिसका उपयोग वे पाम तेल के वृक्षारोपण के लिए करेंगे।

मित्रों, हमारे देश का शासक वर्ग हमारी अपनी पहचान को समाप्त कर हमें अन्य प्रमुख भाषा समूहों में समाहित होने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारी जनजातियाँ, उनकी संस्कृति और भाषा गंभीर खतरे में हैं और उनमें से कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। हिंदुत्ववादी आरएसएस और हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसके विभिन्न संगठन हमें हिंदू बनाने और धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमने मणिपुर में उनकी आदिवासी विरोधी और विभाजनकारी राजनीति देखी है। हमने छत्तीसगढ़ में माओवादियों से मुकाबला करने के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासियों का नरसंहार देखा है। और ये सब तब हो रहा है जब हमारे समाज की एक महिला नेता को हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। इसलिए, भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों को बचाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। ऐतिहासिक संथाल हूल दिवस की 168वीं वर्षगांठ पर आइए हम अपने असंख्य शहीदों और सिधू–कानू जैसे महान नेताओं के संघर्ष और बलिदान को याद करें।

आइए हम इस दिन को अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमले का विरोध करने की प्रतिज्ञा के साथ मनाएं।

(अखिल भारतीय आदिवासी फोरम (एआईटीएफ) की अखिल भारतीय कमेटी द्वारा जारी)

अखिल भारतीय ट्राइबल फोरम के आवाह्न पर 30 जून को प. बंगाल में बांकुरा में आदिवासी किसानों की रैली

पर्यावरण तथा मजदूर वर्ग : डोलू प्रतिरोध की कहानी

संजय फूकन

पर्यावरण संकट विश्व पूंजीवाद के प्रमुख संकटों में से एक है जिसे लम्बे अरसे से नजरंदाज किया जा रहा है। वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों की चेतावनियों के बावजूद एक ओर जनता को यह सिखाने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है कि वे प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कैसे करें, कचरे को कैसे अलग करें, पानी और बिजली कैसे बर्बाद न करें और आसपास वृक्षारोपण करें। वहीं दूसरी ओर शासक वर्ग विकास के नाम पर कारपोरेट पर लागू होने वाले सभी कानूनों, नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते रहे हैं। हकीकत तो यह है कि व्यक्तियों द्वारा पर्यावरण को नुकसान की तुलना में कहीं अधिक नुकसान औद्योगिक प्रदूषण, बड़ै पैमाने पर इलैक्ट्रोनिक कचरे के उत्पादन तथा वनों की कटाई से होता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने यह उजागर किया है कि 1988 से 100 कम्पनियां 71 ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करती रही हैं तथा प्लास्टिक की थैलियों तथा स्ट्रा का योगदान मात्र 1 प्रतिशत है।

ग्लोबल फारेस्ट वाच की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच भारत में 23.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ों का आवरण कम हो गया हे। इसका 60 प्रतिशत नुकसान उत्तर पूर्व के 6 राज्यों में हुआ है। सर्वाधिक नुकसान असम में हुआ है। हाल में 5 जनवरी को डेकन हैरल्ड में प्रकाशित एक खबर जिसका शीर्षक था "दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र से पांच गुना जंगल की जमीन पर अतिक्रमण : सरकारी आंकड़े दिखाते हैं।" में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस खबर के अनुसार "7506 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। (8 दिसम्बर को लोक सभा में प्रश्न का उत्तर) उसमें से 3407.48 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन पर अतिक्रमण अकेले असम में दर्शाया गया है जो भारत के वन भूमि अतिक्रमण का 45 फीसदी है। उत्तर पूर्व के 6 राज्यों में यह 56 फीसदी है। इस खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एनजीटी) ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व सर्वे आफ इंडिया को नोटिस जारी कर देश के वन आवरण और खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये गये। याचिका में एनजीटी ने स्पष्ट किया कि जंगल में वृक्ष आवरण का बड़ा नुकसान वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। गौरतलब है कि 8 जनवरी 2024 राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना 2019–2021 के बीच प्रमुख वन आवरण नुकसान उत्तर पूर्व राज्यों में हुआ है और यह अलग–अलग राज्यों में 200–250 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। सरकार लगातार यह कहती आयी है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में वन आवरण के कम होने की वजह प्राकृतिक आपदायें, जमीन का अतिक्रमण व विकास संबन्धित गतिविधियां हैं। वहीं दूसरी ओर 7 दिसम्बर 2023 को राज्य सभा में एक और प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकारा कि सड़क निर्माण के अलावा जंगल की जमीन गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने का कारण खनन होता है। यह साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में उत्तर पूर्व के असम में कुछ चल रहा है और एनजीटी द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी करना भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

इसी विषय पर 21 मार्च 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को जानने और इससे निपटने की सरकारी नीति व नियमों व विनियमों के बावजूद जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित चिन्ताओं से सम्बन्धित कोई एक कानून नहीं है।" "हालांकि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारतीय जनता को जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है।"

जंगल की जमीन वन अतिक्रमण व वृक्ष आवरण के कम होने से जलवायु परिवर्तन व इसके मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है और वामपंथी इसे नजरंदाज नहीं कर सकते। पर्यावरण व इकोलॉजी बचाने का संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी व उसके दुमछल्ले (क्रोनी) पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष का एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। अनेक रिपोर्टों व न्यायालय फैसलों में इसका उल्लेख नहीं मिला कि शासक वर्ग का हर निष्कासन व अतिक्रमण न केवल प्रकृति को नुकसान पहुँचाता है बल्कि वहां के निवासियों की आजीविका पर भारी नुकसान पड़ता है।

13 फरवरी 2019 के एक अन्य मुकदमें के फैसले पर नजर डालते हैं जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही थी। 2008 में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को चुनौती दी थी खासकर अवैध रूप से जंगल के क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ। कोर्ट ने 20 लाख से अधिक आदिवासी व गैर आदिवासी व अन्य पारम्परिक वनवासी को जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया, जिनके दावों को एफआरए 2006 के तहत सरकारों व मंत्रालयों ने अतिक्रमण मानते हुए अस्वीकार कर दिया था। कई नागरिक संगठनों व अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा पुरजोर विरोध के चलते जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकार व अन्य कार्यालयों द्वारा अस्वीकृतियों ज्यादातर अवैध थीं, उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों को वापस लिया, रोक लगाई व 26 फरवरी को अपना फैसला वापस ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने नोट किया कि "वर्तमान में पारम्परिक आदिवासियों के प्रभावित होने की संभावना है जिनके दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है जिसे अनदेखा या नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि अन्य पारम्परिक वन निवासियों के बहाने भूमि पर कब्जा शक्तिशाली उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है।"

यह मुकदमा अभी भी लंबित है। 'विकास' के कुछ झंडाबरदारों मसलन असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमन्त विस्वा सरमा ने बेदखली की योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। 15 जनवरी 2023 की टाइम्स आफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार ने पाभा वन क्षेत्र से 500 परिवारों को बेदखल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया "हमारी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पाक साफ है। खुश हूँ कि बेदखली की मुहिम में 5 दिनों के अंदर 4163 हेक्टेअर (32000 बीघा) पाभा रिजर्व फारेस्ट को अतिक्रमण मुक्त किया गया है।" डेक्कन हेराल्ड में 14 फरवरी 2023 को छपी रिपोर्ट में लिखा गया कि असम सरकार ने सोनितपुर जिले में मंगलवार को लगभग 1900 हेक्टेअर जंगल व सरकारी जमीन को साफ करना प्रारम्भ किया जिसके चलते लगभग 12000 लोग प्रभावित हुए जो एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लम्बे समय से अवैध रूप से रह रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के 6 नवम्बर 2023 को लिखा कि असम में गोलपाडा जिले में नलबाड़ी रिजर्व फारेस्ट के कुछ परिवारों को बेदखल किया गया। ये सभी बंगाली मुसलमान थे। 29 मई 2024 को खबर छपी "20 मई को असम राज्य के सिपाझार क्षेत्र में लगभग 400 मुसलमान परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये बेदखली असम के मुख्यमंत्री हेमन्त विस्वा के आदेश पर की गयी .... भाजपा नेता जो 2021 में राज्य में सत्ता में आए। इनका चुनावी वायदा अवैध अतिक्रमण भूमि को खाली कराना था जिसका सीधा सा मतलब बंगाली मूल के मुसलमानों को हटाना है।"

क्या इसमें कोई खास पैटर्न है? पिछले कुछ दशकों में वन क्षेत्र में लगातार कमी आयी है जो एफआरए 2006 के तहत जनजातियों के जमीन पर दावे को अस्वीकार करने की सरकारी नीति, जनजातीय और गैरजनजातीय वनवासियों को उनकी भूमि से अतिक्रमण के नाम पर बेदखल करने की विशाल योजना और अंत में न्यू फारेस्ट कंजरवेशन रूल्स 2022 को जुलाई में पेश करना, सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा लगते हैं।

हम सभी मार्क्स के आदिम संचय के सिद्धान्त से वाकिफ हैं। यहां डेविड हार्वे का आदिम संचय की धारणा में संशोधन जिसे मार्क्स ने पूंजीवाद के लिए काम करने का प्रमुख पहलू बताया था, प्रासंगिक है। यह सामान्यतः निजीकरण के माध्यम से उत्पादकों को उत्पादनों के साधनों से अलग करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्शाता है। हार्वे ने अपनी पुस्तक 'द न्यू इम्पीरियलिज़म 2003' में लिखा ..... "आदिम संचय जैसा कि मार्क्स ने वर्णित किया ..... जिसमें जमीन लेना, इसे घेरना और निवासियों को बेदखल करना शामिल था ताकि भूमिहीन सर्वहारा बनाया जाए और फिर भूमि को पूंजी संचय की निजी मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए"।

चूंकि संचय एक सतत प्रक्रिया है, हार्वे ने वर्तमान प्रतिक्रियाओं के लिए विस्थापन द्वारा संचय (एबीडी) का प्रयोग किया। पिछले दशकों से जो विभिन्न स्थानों पर चल रहा है उसमें ए.बी.डी. सिद्धान्त में साम्य है। वर्तमान में बड़े पैमाने पर जमीन से बेदखली, पर्यावरण को नष्ट कर भूमि और संसाधनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा मूल रूप से इसी प्रक्रिया को दर्शाता है।

इसी योजना के तहत उच्च स्तरीय परिवर्तन प्रणाली को विकसित किया जाता है। मुल्क के दूरदराज के खनिज क्षेत्र हमेशा शानदार राज्यमार्गों से जोड़े जाते हैं, भले ही वहां आवश्यक दवाएं या सुविधाए न हों। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार योग्य हैं। 2014 तक समस्त उत्तरपूर्व भारत में महज 9 हवाई अड्डे थे। पिछले दशक में सात और बनाये गये हैं जिसके चलते हवाई यातायात में 113 फीसदी की वृद्धि हुई है (टाइम्स आफ इंडिया 18 नवम्बर 2022)। मोदी सरकार की इस विस्तार योजना को "उड़े देश का आम आदमी" (उड़ान) कहा जाता है। सिलिगुड़ी का 990 एकड़ में फैला पेक्योंग हवाई अड्डा स्थानीय लोगों की जमीन हड़प कर उनके घोर विरोध को रोककर बनाया गया, लेकिन हवाई अड्डा पर्याप्त हवाई पट्टी की कमी, दृश्यता, ऊंचाई पर आने वाली समस्याओं से जूझता रहा है। लम्बे समय तक बन्द रहने के बाद इसे अप्रैल 2024 में फिर से खोला गया। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में 791 एकड़ जमीन से अनेक चकमा परिवारों को विस्थापित कर इटानगर में होलोंगी हवाई अड्डा बनाया गया। यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

अतः इस संदर्भ में असम राज्य के सिलचर में डोलू चाय बगान की भूमि पर बनाये जा रहे एक अन्य हवाई अड्डे के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभीरग्राम में सिचलर हवाई अड्डा पहले से है। अब मुख्यमंत्री ने 2022 में उड़ान योजना के तहत केवल 30 किलोमीटर दूर एक अन्य हवाई अड्डे की योजना बनाई जो महामारी के बीच विकसित की गई। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और असम सरकार की टीम ने सिलचर की 3 चाय बगानों की जमीन का सर्वेक्षण कर डोलू चाय बगान की जमीन को उपयोगी पाया। सरकार ने यहां 827 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की योजना बनाई। डोलू चाय बगान एक एस्टेट है जो 150 वर्षों से चल रहा है। यह हजारों मजदूरों व उनके परिवारों का आजीविका का स्रोत है। जैसे ही 2022 में यह योजना सार्वजनिक हुई मजदूरों का असंतोष व संघर्ष प्रारम्भ हो गया। सरकार ने पहले मालिकों को कुछ पैसे देकर दबाव डाला। बी.एम.एस., इंटक व सीटू से जुड़ी हुई 3 प्रमुख ट्रेड यूनियन हवाई अड्डे के समर्थन में खड़ी हो गयीं और मालिकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। समझौते के कुछ प्रावधान रखे गये थे जिसके तहत बेदखल किये मजदूरों को एस्टेट के अन्य हिस्सों में काम दिया जाएगा, उनकी सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा एवं उन्हें अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस पर विश्वास करना कठिन था। अतएव मजदूरों ने असम मजूरी श्रमिक संघ–एएमएसयू (एनटीयूआई से सम्बन्धित) के बैनर तले आन्दोलन एवं विरोध को जारी रखा। अन्य नागरिक संगठन भी समर्थन में सामने आए लेकिन विकासवादी सरकार दृढ़ थी और कछार के जिला मजिस्ट्रेट

(शेष पृष्ठ 8 पर)

भारत के श्रमिक वर्ग की

(यह अध्ययन न्यू डेमोक्रेसी की एक टीम द्वारा किया गया था। उसके अनुवाद का पहला अंश इस पत्रिका के मई अंक में तथा दूसरा अंश पत्रिका के जून अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। हम यहां इसका तीसरा तथा अंतिम भाग प्रकाशित कर रहे हैं। – संपादक)

गैर–मान्यता प्राप्त कार्यबल :

इस श्रेणी में वे कर्मचारी आएंगे जो उन क्षेत्रों में साधारण काम कर रहे हैं जिन्हें 21वीं सदी में श्रम को और अधिक लूटने के लिए कॉरपोरेट ने जन्म दिया या विस्तार किया है और नए नामों के तहत इसके मजदूर चरित्र को ही नकार दिया गया। इसमें तथाकथित 'स्वैच्छिक श्रमिक', 'गिग श्रमिक' और अन्य शामिल हैं।

इनकी संख्या बड़ी है और इनमें से कुछ के विवरण की जरूरत है।

आंगनबाडी कार्यकर्ता :

यह वह क्षेत्र है जो 1975 में **ICDS** (एकीकृत बाल विकास योजना) के तहत शुरू हुआ था और जिसे असल में सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली अनिवार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आना चाहिए। उन्हें 'अंशकालिक सेवाएं' प्रदान करने वाले 'स्थानीय समुदाय' के 'मानद' कार्यकर्ता के रूप में लेबल किया गया था। ये पूरी तरह से महिला कार्यकर्ता हैं और उनके अधीन सहायक भी महिलाएं हैं और वे भी मानद हैं।

दरअसल ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं. लेकिन उन्हें सभी उचित अधिकारों और वेतन से वंचित कर दिया जाता है।

इन श्रमिकों को 'मानदेय' मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और कुछ हिस्सा राज्यों द्वारा, इसलिए कुल राशि विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है।

मंजूर कार्यबल	27 लाख
कार्यकर्ता (आंगनवाड़ी)	13,99,697 (लगभग 14 लाख)
सहायिका (एडब्ल्यूएच)	12,83,847 (लगभग 13 लाख)

बाल विकास मंत्रालय के अनुसार जिसने 12 जुलाई 2019 को एक पीआईबी (प्रेस सूचना ब्यूरो) बयान जारी किया था। यह तब था जब केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रु. 3000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 4500 प्रति माह, और सहायिका का रु. 1500 प्रति माह से रु. 2250 प्रति माह किया था।

श्रमिकों के इस वर्ग के अतिरिक्त 'लाभ' हैं–

ए) कुछ मामूली प्रोत्साहन (रु. 500 प्रति माह पोषण आदि)

बी) प्रति वर्ष 20 दिन डीएल (आंगनवाडी)

सी) 2 जोड़ी प्रति वर्ष वर्दी

डी) सेवानिवृत्ति (! 'स्वैच्छिक', 'मानद' कार्य से!) 60 वर्ष की उम्र पर।

इ) 180 दिन (6 महीने) का केवल एक बार अर्जित मातृत्व/गर्भपात अवकाश।

एफ) कोई कर्मचारी राज्य बीमा नहीं, कोई पीएफ नहीं, लेकिन आयु संबंधी कुछ योजनाएँ इस प्रकार हैं:

आयुः 18–50 वर्ष – पीएम जीवन ज्योति बीमा के तहत बीमा कवर।

आयुः 51–59 वर्ष – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा (यह लगभग 2 लाख देता है)।

बेशक कोई न्यूनतम वेतन नहीं है (हालाँकि अधिकांश राज्यों में ड्यूटी दोपहर 2 बजे तक है) लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन 'मानद' श्रमिकों के लिए आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) की अनुमति दे दी है।

आशा कार्यकर्ताः 21वीं सदी की प्रविष्टि

2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में बनाए गए इन नए 'स्वैच्छिक' श्रमिकों को केंद्र सरकार रु. 2000 (1000 बहीखाते के लिए, 500 डेटा फीड के लिए, 250 मोबाइल बिल, 250 मीटिंग में भाग लेने के लिए किराया) का 'मानदेय' देती है।

वे जो भी बाकी कमाते हैं वह कमीशन के माध्यम से कमाते हैं जब तक कि वे राज्य सरकारों को वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोई ईएसआई, पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, मातृत्व लाभ नहीं। स्वीकृत संख्या 9 लाख महिला कार्यबल की है।

गिग और प्लेटफार्म श्रमिक :

इस को केंद्र सरकार के कॉरपोरेट समर्थक 'सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता' में परिभाषित किया गया है। ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 'काम में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के बाहर कमाता है'।

प्लेटफार्म श्रमिक समान हैं; वे एक 'प्लेटफॉर्म' से काम करते हैं।

कॉरपोरेट द्वारा दिया गया फेर जिसे हमारे साम्राज्यवाद–समर्थक शासक वर्गों ने नकल किया वो 'पारंपरिक से बाहर' नियोक्ता–कर्मचारी संबंध शब्दों में है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि कॉरपोरेट दुनिया भर में ऐसे आदेश देते हैं और शासक वर्ग की सरकारें इसे स्वीकार करती हैं और ऐसे कानून बनाती हैं जैसे कि यह सच हो। यह सच नहीं है। भारत में श्रम कानूनों के अनुसार, वे बहुत हद तक ''पारंपरिक'' रिश्ते के भीतर हैं और उन्हें 'पीस' रेटेड या 'टास्क' रेटेड (क्योंकि कुछ वर्ग मूल रूप से सेवा प्रदाता हैं) श्रमिकों के रूप में रखा जाना चाहिए जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यूनतम मजदूरी और दूसरे कानूनी वैधानिक अधिकार और अन्य अधिकारों के हकदार हैं।

इन क्षेत्रों का आकार क्या है? अब उनकी बड़े मेट्रो शहरों में लगभग सर्वव्यापी उपस्थिति है, खासकर डिलीवरी पर्सनल और वाहन चालकों के रूप में। जो सरकारी डेटा उपलब्ध है वह नीति आयोग का है। स्वतंत्र अनुमान (जैसा कि वायर 31 मार्च 2021 में) ने यह संख्या 130 लाख बताई है।

कोरोना महामारी से पहले के वर्षों में इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उल्लेखित किया गया था जो सालाना 17% बढ़ेगा लेकिन कोरोना काल में, केंद्र सरकार के लंबे लॉकडाउन और कोरोना सावधानियों के कारण ऑनलाइन रिटेल को बढ़ावा मिला।

''भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था'' पर नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019–20 में स्थिति यह थी कि ये श्रमिक निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत थे –

खुदरा व्यापार एवं बिक्री	26.6 लाख
परिवहन	13.0 लाख
वित्त एवं बीमा	6.3 लाख
मैन्युफैक्चरिंग	6.2 लाख
शिक्षा	1.0 लाख

ये 53.1 लाख कर्मचारी हैं।

मौजूदा वर्षों के किसी भी आंकड़े और सभी आंकड़े, क्योंकि वे मालिकों, अस्थायी श्रमिकों, गैर–पंजीकृत उद्यमों और जमीनी सर्वेक्षणों के बजाय कंप्यूटर आधारित डेटा संग्रह द्वारा 'स्वैच्छिक' सूचीकरण पर आधारित हैं, उन्हें बहुत सामान्य अनुमान के रूप में लिया जाना चाहिए।

निम्नलिखित प्रोफाइल भी नीति आयोग से ली गई है

इनमें से 47% श्रमिक मध्यम कौशल वाली नौकरियों में हैं, 31% कम कुशल नौकरियों में हैं और 22% उच्च कौशल नौकरियों में हैं।

'मनी कंट्रोल' साइट इनके कार्य–आधार को डिलीवरी में 8%, राइड शेयरिंग में 5%, सफाई और सूक्ष्म कार्यों में 19%, व्यक्तिगत कार्यों में 17% और उच्च कौशल फ्रीलांसिंग में 42% बताती है।

आंकड़ों का एक अन्य सेट बढ़ती संख्या का अनुमान देता है (**vebay-news**)

2016 –	85 लाख
2017 –	117 लाख
2018 –	15 लाख

एक अन्य वर्गीकरण (**indiatimes-com**) इस प्रकार है (1) स्वतंत्र ठेकेदार (2) ऑन लाइन प्लेटफॉर्म कर्मचारी (3) ठेका अनुबंधित फर्म कर्मचारी (4) ऑन कॉल कर्मचारी (5) अस्थायी कर्मचारी।

इससे उनकी विभिन्न नौकरियों का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इन श्रमिकों की ऑनलाइन समाचार साइटों में प्रकाशित संख्याओं और वर्गीकरणों को खारिज करने की आवश्यकता नहीं है, यह ध्यान में रखते हुए कि अब सरकारी विभागों द्वारा एजेंसियों के सभी पदों पर डेटा का संग्रह कैसे आउटसोर्स किया जाता है।

ये श्रमिक भारत के अनौपचारिक क्षेत्र या श्रमिकों का विस्तार हैं, लेकिन उनमें से एक अच्छी संख्या वस्तुओं के उत्पादन और अन्य कार्यों में कार्यरत हैं जिन्हें संगठित क्षेत्र में आना चाहिए और जिन्हें जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन करने या दरकिनार करने के लिए 'गिग' कार्य के रूप में डिजाइन किया गया है। इस श्रेणी के श्रमिकों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, अनियमित काम के घंटे और स्थितियां हैं, उनसे की गई मांगें उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की अनदेखी करती हैं (कंपनी एक विशेष मार्ग का उपयोग करके डिलीवरी समय की गणना करेगी जिसमें रेलवे लाइन पार करना शामिल है जो मानव रहित है, आदि) और निश्चित रूप से कोई नौकरी सुरक्षा नहीं है। केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि नए कानूनों से इन वर्गों को कैसे फायदा होगा, जिनका ''पुराने श्रम कानूनों में उल्लेख नहीं किया गया है'' और 'नेशनल फ्लोर वेज' से उन्हें कैसे फायदा होगा। उनका बिलकुल उल्लेख किया गया है, लेकिन इन नामों से नहीं और मौजूदा न्यूनतम मजदूरी के एकदम हकदार हैं। वैसे भी, पहले से ही एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज है।

अन्य 'स्वैच्छिक' कार्यकर्ता :

संभावित सरकारी कर्मचारियों के कई अन्य वर्गों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण हैं पंचायत कार्यकर्ता, मलेरिया उन्मूलनकर्ता। उनका सामना एक समान मुद्दों से है।

सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले 'सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं' का कुल संख्या जो लगभग 100% महिलाएं हैं, लगभग 23 लाख मानी जाती हैं। उनकी औसत योग्यता है हाई स्कूल या इंटर उत्तीर्ण। इनमें आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को 'स्वास्थ्य कार्यकर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि वास्तव में हैं ये सरकारी कर्मचारी हैं।

वर्ष	सेवाओं में रोजगार (करोड़ों में)	कुल रोजगार (करोड़ों में)	सेवाओं का हिस्सा (%)
1965–66	3.97	21.93	18.1
1980–81	5.71	30.24	18.9
1990–91	8.7	35.68	24.4
1990–2000	10.29	43.81	23.5

कुल रोजगार में सेवाओं का हिस्सा

इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है. आरबीआई प्रकाशनों में (स्रोत – एनएसएसओ विभिन्न दौर और विसारिया 1996) निम्नलिखित डेटा दिखाया गया है। तुलनात्मक उद्देश्य के लिए यह अच्छा है।

निःसंदेह एक निश्चित राय है कि अनेक प्रकार के श्रमिक जो सेवाएँ प्रदान करने वालों के रूप में वर्गीकृत हो रहे हैं, वास्तव में उन कार्यों में नियोजित होते हैं जिन्हें औद्योगिक रोजगार के रुप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

महिला श्रमिक :

जब 40 वर्ष गुजरेंगे तो मजदूर वर्ग में भी मात्रात्मक परिवर्तन अवश्य आयेंगे जिनमें महिला श्रमिक भी शामिल हैं। लेकिन पुराने क्षेत्रों में काम करने के अलावा महिला श्रमिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के नए क्षेत्रों के विस्तार के कारण बढ़ी हैं।

बीड़ी उद्योग में महिलाओं का दबदबा कायम है, जहां अब कार्यबल घट रहा

वर्तमान रूपरेखा — 3

है– घटती मांग और युवा महिलाएं के इस काम से बाहर जाने दोनों कारणों से।

कपड़ा उद्योग में महिलाओं का दबदबा है और वे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी काम कर रही हैं और छोटे और बड़े आउटसोर्स या ठेका प्रतिष्ठानों में भी। यहां उन्हें कम भुगतान किया जा रहा है न्यूनतम वेतन के अनुसार भी और वेतन में लैंगिक असमानता के कारण भी। इसके अलावा, उनके पास 'हॉस्टल' कहे जाने वाले भयानक कबूतर घरों में व्यक्तिगत सुरक्षा, परिवहन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अस्वच्छ और अपर्याप्त शौचालय, मातृत्व लाभ का अभाव या कमी, कोई ईएसआई सुविधाएं नहीं होने जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। कार्यस्थल पर शिशुग्रह/बाल देखभाल सुविधाओं का प्रश्न पहले से ही गिनती से बाहर है जहां तक श्रम कानून के कार्यान्वयन का सवाल है।

महिलाएं पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर निकलकर सेवाओं के सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश कर चुकी हैं। वे हेयरड्रेसर, बच्चों की देखभाल करने वाली, व्यक्तिगत सेवा प्रदाता, वाहन चालक आदि हैं और अत्यधिक कुशल नौकरियों में भी हैं। घरेलू काम भी एक क्षेत्र है जहां पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं।

विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की नितांत आवश्यकता हैं– सशक्तिकरण के लिए पीएफ, नियमित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ईएसआई, न्यूनतम वेतन का लागू होना, उचित शौचालय सुविधाएं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों का उत्तरदायी समाधान।

श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा :

यह एक ऐसा समय है जब कामकाजी वर्ग की औपचारिक सामाजिक सुरक्षा जैसे ईएसआई, पीएफ, पेंशन को निर्णायक रूप से वापस लिया जा रहा है और अधिक से अधिक क्षेत्रों के श्रमिकों को सामान्य सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज का वायदा किया जा रहा है। नए श्रम कोड इस आघात को कानूनी रुप देते हैं। शासकों द्वारा संचालित विभिन्न 'योजनाओं' में सारा जोर वर्ग की अनियमितता और संगठित सुविधाओं तक पहुंच कम करने पर हो रहा है। जो सब खत्म किया जा रहा है उसमें व्यवस्थित, पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और नियमित पेंशन भी शामिल है।

जूट श्रमिक :

100 साल से अधिक पुराना यह उद्योग 3.7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख किसान परिवारों को सहारा देता है। लगभग 2 लाख श्रमिक केवल प. बंगाल में हैं।

संघीकरण :

कुल श्रमिक वर्ग के संघीकरण का स्तर बहुत ही निम्न है। टीओआई (17 जनवरी 2018) में उद्धृत श्रम ब्यूरो सांख्यिकी 'संघ घनत्व' के आंकड़े ये संख्या देते हैं :

1989 में 35.8%

1993 में 11.5%

1997 में 26%

2001 में 19.4%

2021 के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ा है 10.3% और 2019 के आंकड़े समान है।

मानव दिवसों की हानि के आंकड़ों में वास्तव में हड़तालों और तालाबंदी दोनों के आंकड़े शामिल हैं। अस्थायी कार्यबल के विशाल हिस्से में भी हड़तालें हो रही हैं, लेकिन इसका आकलन करना संभव नहीं है कि इनमें से कितने आंकड़ों में प्रतिबिंबित हो रहे हैं।

कॉरपोरेट भारत की कंपनियों में रोजगार:

एक अतिरिक्त पहलू के रूप में, अंबानी और अडानी जैसे प्रमुख कॉरपोरेट घरानों के अधीन कार्यबल की संख्या के आंकड़ों के संकलन का प्रयास किया गया।

अडानी ग्रुप में रोजगार पर एंटरप्राइज आईटी वर्ल्ड की रिपोर्ट कहती है की इस व्यापार समूह की 25 व्यावसायिक इकाइयों में 15,000 से अधिक कर्मचारी हैं और 50,000 श्रमिक हैं। साथ ही 900 से अधिक तीसरे पक्ष के ठेकेदार हैं।

ईटी नाउ ने 8 अगस्त, 2022 को अपडेट किया, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2021–22 के अंत में अंबानी समूह का कुल कार्यबल 3.43 लाख था।

निष्कर्ष

जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, एकल, प्रमुख, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ मूलतः उदारीकरण समर्थक नीतियों पर शासक वर्ग की आम सहमति से हुआ जिसमें पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रभाव फैलाने के अभियान था। इसकी पृष्ठभूमि थी, समाजवादी केंद्र का लुप्त होना तथा सामाजिक साम्राज्यवादी खेमे की चुनौती का खत्म होना। इसका मकसद मार्क्सवाद–लेनिनवाद तथा समाजवाद पर विश्वव्यापी आक्रमण द्वारा श्रमिक वर्ग को मानसिक रूप से निहत्था करना। पिछले 30 वर्षों में हुआ बदलाव में 1917 के बाद मजदूर वर्ग के संघर्ष से हासिल स्थापित कानूनी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा लाभों का खात्मा? अब का दौर वास्तव में साम्राज्यवाद द्वारा श्रमिक वर्ग पर हमलों को और अधिक तीव्र किए जाने का है ताकि अधिलाभ (सुपर प्राफिट) बढ़ाया जा सके।

यह सब प्रकट होता है भारत के कार्यबल के चरित्र की अनित्यता – अनियमित या नियमित गैर–स्थायी रोजगार, श्रमिक को किसी अधिकार का हकदार न बनाना, न्यूनतम संभव वेतन और कोई नौकरी सुरक्षा नहीं की ओर बढ़ने में। सामाजिक सुरक्षा सामान्य सरकारी योजनाएँ की ओर बढ़ रही है जो आबादी के बड़े हिस्से को ऑनलाइन उपलब्ध हैं – पोर्टल पंजीकरण और केवल दूरस्थ रूप से श्रमिक वर्ग की स्थिति से जुड़ा हुआ है यदि है भी तो। इस कार्यबल के विभिन्न परिवर्तनशील नाम हैं – अनुबंध, ठेका, आकस्मिक, दैनिक वेतन, आउटसोर्स, प्रशिक्षु, निश्चित अवधि कर्मचारी से लेकर स्वैच्छिक, मानद और गिग ("नियोक्ता कर्मचारी संबंधों" के "बाहर")। परिवर्तन मुक्त और मुक्त शोषण की ओर हो रहा है।

यह अभियान :

'अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के निजीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण का हिस्सा है।

'श्रम सस्ता करने, अधिलाभ बढ़ाने का हिस्सा है।

'श्रमिक वर्ग को मानसिक रूप से कमजोर करने का हिस्सा है, ताकि वह नौकरियों और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने की किसी स्थिति में न रहे।

'संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी और कानूनी विरोध के अधिकार को खत्म करने का हिस्सा है।

'पेंशन लाभ, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसी वृद्धावस्था सुविधाओं में भारी कटौती की जा रही है।

'यह सब कल्याणकारी योजनाओं से बचाए गए धन को बढ़ाता है।

'कार्यकारी महिलाओं का समर्थन करने वाले कानून, जैसे शिशुगृह, सवैतनिक मातृत्व अवकाश और मातृत्व देखभाल सुविधाएं, साधारण सवैतनिक छुट्टियां, ईएसआई और उन्हें सशक्त बनाने वाली पीएफ सभी सामाजिक प्रतिभूतियों को निरर्थकता की ओर धकेला जा रहा है।

'ऑनलाइन पंजीकरण के साथ सामान्य सामाजिक सुरक्षा योजना जिसमें कुछ एकमुश्त राशि का अधिकार है ही अब सामान्य नियम बनाया जा रहा है।

ये विशेषताएं कोर सेक्टर, नए क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी सहित सभी क्षेत्रों के लिए सच हो रही हैं, और अब निचले स्तर के रक्षा क्षेत्र रोजगार में भी, हालाँकि यहाँ शासक वर्ग को अधिक सावधानी से बढ़ने के लिए बाध्य किया जाएगा।

इसके बदले में श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनों को मजदूर वर्ग को व्यापक रूप से क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनों के अंतर्गत संगठित करने के महत्व को अपने कार्य में शामिल करना होगा। विशाल असंगठित श्रमिक वर्ग कुल श्रमिकों का लगभग 90% से 95% है और इससे आंदोलन को व्यापक आधार मिलेगा। उनका संघर्ष नौकरी की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के साथ–साथ वेतन और बुनियादी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षाओं के लिए होगा। इस प्रकार आंदोलन की नई व्यावहारिक मांगों को पूरा करने के लिए कैडर को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

यह आवश्यक है कि क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन स्वयं को ऊर्जित करे, सक्षम कामरेड काम करने के लिए आगे आएं और त्याग और समर्पण की भावना को पुनर्जागृत किया जाए। मजदूर वर्ग के नेताओं को मजदूर वर्ग के बीच जाकर रहना चाहिए और संगठित करना चाहिए।

मजदूर वर्ग के मुद्दों पर मजदूर वर्ग के आंदोलनों को मजबूत करने के लिए ऐसे सभी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ संयुक्त संघर्ष या अभियान चलाना भी महत्वपूर्ण है। इसमें सुधारवादी ट्रेड यूनियनों को शामिल करते हुए व्यापक संयुक्त संघर्ष शामिल हैं।

निष्कर्ष में, यह स्पष्ट है कि श्रमिक वर्ग में अब का कार्य संक्षेप में तिहरा है :

क) मजदूर वर्ग को संगठित करें।

ख) श्रमिकों की कानूनी अधिकारों की जरूरत, हड़ताल के अधिकार पर स्वयं खतरे जैसी नई स्तिथियों में संघर्ष का निर्माण करना। अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त संघर्ष विकसित करना आवश्यक है।

ग) मजदूर वर्ग का क्रांतिकरण करना। इसमें असल में शामिल हैः

1. मजदूर वर्ग में विकसित तत्वों को क्रांतिकारी दिशा देना।

2. उन्हें लोकतांत्रिक मांगों पर अन्य वर्गों के संघर्षों के साथ एकजुट संघर्ष में शामिल करना।

(समाप्त)

नीट–यूजी की परीक्षा दोबारा करो

(पृष्ठ 1 का शेष)

को भी बेच रहे हैं।

क्या छात्रों और भारत के भविष्य के खिलाफ इस क्रूरता से बचने का कोई रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है यदि सरकार तथा प्रशासन ऐसा चाहे लेकिन सरकार इन घोटालों के दोषियों को बचाने तथा मामले पर लीपापोती करने पर सारा ध्यान केन्द्रित करती है। सत्ता में बैठी सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता तथा परीक्षाओं की निष्पक्षता तथा स्तर पर उसका ध्यान ही नहीं है। उनका सारा ध्यान सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस से जुड़े लोगों को उच्च पदों पर भरने पर लगा है। सरकार परीक्षा रद्द न करने पर जोर दे रही है, क्योंकि उनसे जुड़े लोग इस अपराध के मुख्य लाभार्थी और अपराधी रहे हैं।

राष्ट्रीस परीक्षण संस्था (एन.टी.ए.) ने उच्च स्तर की परीक्षाओं को करने में अपनी अक्षमता तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय दिया है। इस घोटाले के रोशनी में आने के बावजूद एन.टी.ए. द्वारा की गई नेट की परीक्षा को भी परीक्षा के अगले दिन ही रद्द करने को बाध्य होना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि एन. टी.ए. अक्षमता तथा भ्रष्टाचार से ओत प्रोत है तथा उसे बिना देर किये भंग किया जाना चाहिए।

इस बड़े अखिल भारतीय घोटाले से शिक्षा से जुड़ा एक और मुद्दा सामने आया है। अब समय आ गया है कि शिक्षा को संविधान की राज्य सूची में वापस लाया जाए, जहां यह 1976 तक थी, जब आपातकाल के दौरान इसे समवर्ती सूची मैं शामिल किया गया था। आरएसएस–बीजेपी जो आपातकाल का विरोध करने का दिखावा तो करती रही है, वे शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण रखने पर अड़े हुए हैं। उसका आपाताल विरोध उसके द्वारा जनता के जनवादी अधिकारों को कुचलने पर पर्दा डालने की ही कोशिश है।

बहुत सी राज्य सरकारें विशेषकर तमिलनाडु सरकार नीट के विरोध में रही है। समय की मांग है कि इस केन्दीयकरण का विरोध किया जाए।

मोदी सरकार द्वारा एम.एस.पी. की घोषणा पर ए.आई.के.एम.एस. का बयान

– मोदी सरकार किसानों की एमएसपी /स्वामीनाथन फॉर्मूला की मांग का मजाक उड़ा रही है'।

– धान के लिए घोषित एमएसपी उत्पादन लागत के बराबर है, डेढ़ गुना नहीं।

– धान का एमएसपी, ओडिशा में बीजेपी के चुनावी वायदे 3100 रुपये से बहुत कम। एमएसपी 3450 रुपए होना चाहिए।

– मोदी सरकार द्वारा 14 फसलों के लिए घोषित एमएसपी खाद्य महंगाई से 50% कम।

– जमीन के मालिक किसानों का घरेलू खर्च औसत ग्रामीण खर्च से भी कम – एनएसएसओ आंकड़े।

– कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाने और सरकार के 18% से 28% जीएसटी से लागत सामग्री बहुत महंगी।

– किसानों के कर्ज में तेज वृद्धि।

– 40% बटाईदार किसानों को एमएसपी या किसान निधि का लाभ नहीं।

भाजपा सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 5 से 7% के बीच बढ़ोतरी की घोषणा एक बार फिर सी +50% की दर से एमएसपी देने का मजाक है क्योंकि यह वृद्धि बाजार में खाद्य कीमतों में वृद्धि के बराबर भी नहीं है।

धान के लिए घोषित एमएसपी, उदाहरण के लिए, 2300 रुपये प्रति क्विंटल, उत्पादन की वास्तविक लागत के बराबर है। सीएसीपी ने 2023–24 में धान के लिए सी 2 लागत की गणना 1911 रुपये की है जो अनुमानित खर्च से कम है। अगर हम यह मान लें तो भी इस खरीफ सीजन के लिए 7% की नाममात्र मुद्रास्फीति दर पर यह 2044 रुपये होगी और 1.5 गुना दाम 3066 रुपये होगा। इस प्रकार वास्तव में एमएसपी 3100 से 3450 रुपये के बीच होना चाहिए।

जहां भाजपा ने खुद राज्य चुनावों के दौरान ओडिशा में धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देने का वायदा किया था और पिछले साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान भी इतनी ही राशि देने का वायदा किया था, उसने बेशर्मी से 2300 रुपये की सिफारिश की है और दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री किसानों को महत्व दे रहे हैं। यह केवल भोले–भाले किसानों को मूर्ख बनाना और किसानों की मांग को गलत बताने के लिए है।

जबकि वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति लगभग 5% है, खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति 7.9% है और सब्जियों की कीमतें 10% से अधिक दर से बढ़ रही हैं। उल्लेखनीय है कि बाजार की कीमतों में चाहे जो भी वृद्धि हो, जब तक मंडियों में किसानों को कीमतों की गारंटी देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित तंत्र नहीं होता है, तब तक बिचौलिए ही बाजार मूल्य वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, किसान नहीं।

धान का एमएसपी 2183 रुपये और 2320 रुपये प्रति क्विंटल से 117 रुपये से बढ़ाया गया है, जो केवल 5.36% और 5.04% की वृद्धि है। सरकार ने इसकी तुलना 2013–14 में एमएसपी से की है जो 1310 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसमें 10 वर्षों में 77.8% की वृद्धि का दावा किया गया है। तुलना के लिए, इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान जीवन यापन की लागत 10 से 12% से अधिक बढ़ी है, जो 10 वर्षों में 250% से अधिक मुद्रास्फीति होती है।

ज्वार के लिए एमएसपी 3371 रुपये से 191 रुपये बढ़ाया गया है, यानी 5.66%, बाजरे का 2625 रुपये से 125 रुपये, यानी 4.76%, रागी का 4290 रुपये से 444 रुपये बढ़ाकर, यानी 10.34%, मक्के का दाम 2225 रुपये से 135 रुपये यानी 6.6%, अरहर की कीमत 7550 रुपये से 550 रुपये बढ़ाया, यानी 7.28%, मूंग की कीमत 8682 रुपये से 124 रुपये यानी, मात्र 1.42%, उड़द का दाम 7400 रुपये से 450 रुपये यानी 6.08%, मूंगफली 6783 से 406 रुपये, यानी 5.98%, सूरजमुखी का भाव 7280 से 520 रुपये, यानी 7.2%, सोयाबीन 4892 से 292 रुपये, यानी 5.96%, तिल की कीमत 9267 रुपये से 632 रुपये यानी 6.8% बढ़ीय रामतिल का 8717 रुपये से 983 रुपये यानी 11.27 % और कपास की 2 किस्मों में 7121 रुपये और 7521 रुपये से 501 रुपये की बढ़ोतरी हुई, यानी क्रमशः 7.03% और 6.66%।

भाजपा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की किसानों की मांग का मजाक उड़ाने में कुख्यात रही है। हालाँकि हाल ही में इसने डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, लेकिन लागत मूल्यांकन को गंभीर रूप से कम करने के लिए यह आंकड़ों में भारी हेरफेर कर रही है। इससे पहले इसने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि एमएसपी देने से बाजार विकृत हो जाएगा जिसे वह अनुमति नहीं देगी। जबकि उसने 2014 का चुनाव जीतने के एक साल के भीतर सी+50% एमएसपी का वायदा किया था।

कंपनियों और सरकार दोनों द्वारा किसानों को लूटने के परिणामस्वरूप किसानों को अधिक घाटा हो रहा है। जबकि कंपनियां लगातार लागत – बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण की कीमतें बढ़ाती हैं, सरकार उन पर अधिकतम 18 से 28% जीएसटी वसूलती है। इसी का परिणाम है कि किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।

हाल के घरेलू एनएसएसओ के आय व्यय से पता चला है कि भूमि वाले किसानों का औसत खर्च, औसत ग्रामीण खर्च से कम हो गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में सरकार का समर्थन जैसा कि पीएम किसान निधि में केवल जमीन वाले किसानों को सांकेतिक लाभ दिया जाता है, जिन्हें अलग–अलग रूप से प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं, चाहे उनका स्वामित्व कुछ भी हो। लेकिन 40 फीसदी से ज्यादा किसान बटाईदार हैं और उन्हें एमएसपी या किसान निधि का फायदा नहीं होगा।

(ए.आई.के.एम.एस. अध्यक्ष वी. वेंकटरमैया तथा महासचिव आशीष मितल द्वारा 20 जून 2024 को जारी)

कोथागुडेम : तेलंगाना राज्य ट्राइबल फोरम का स्थापना सम्मेलन

आल इंडिया ट्राइबल फोरम का लेनंगाना दाज्य सम्मेलन 9 जून को कोथागुडेम जिला मुख्यालय पर हुआ। सम्मेलन में 4 जिलों से 260 से अधिक डेलीगेटों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश वनीय क्षेत्रों से थे तथा बहुमत महिला प्रतिनिधि थे। एस. नागेश्वर राव ने प्रतिनिधि सत्र की अध्यक्षता की।

सम्मेलन का उद्घाटन करती डा. वासवी कीरो। मंच पर ट्राइबल फोरम के नेताओं के साथ ए.आई.के.एम.एस. के अखिल भारतीय अध्यक्ष का. वी. वैंकटरमैया।

सम्मेलन में भाग लेते डेलीगेट

सम्मेलन ने बिरसा मुंडा तथा आदिवासी संघर्षों के अन्य अमर शहीदों को श्रद्धांजली दी। इनमें तेलंगाना तथा अन्य प्रांतों के आदिवासी शहीद शामिल थे।

सम्मेलन का उद्घाटन आदिवासी नेता तथा लेखिका डा. वासवी कीरो ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तथा 1947 के बाद के दौर में आदिवासियों के बहादुराना संघर्षों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने आदिवासियों की जमीन, जीविका, भाषा, संस्कृति तथा धर्म को हिंदुत्व फासीवादी ताकतों की ओर से खतरे का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने मणिपुर में आदिवासियों की की जा रही निशृंस हत्याओं तथा सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में निर्दोष आदिवासियों की बड़े पैमाने पर हत्याओं की तीव्र निंदा की। उन्होंने जमीन, जीविका तथा संविधान में दिये गये अधिकारों के लिए तथा वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा कानून तथा अन्य कानूनों को लागू कराने के लिए सशक्त आंदोलन का निर्माण करने का आवाहन किया।

सम्मेलन को आल इंडिया ट्राइबल फोरम के संयोजक मुक्ति सत्यम, ए.आई.के.एम.एस. के अध्यक्ष वी. वैंकटरमैया, ए.आई.के.एम.एस. के तेलंगाना राज्य महासचिव एम. वैंकन्ना तथा आदिवासी नेताओं ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन में आल इंडिया ट्राइबल फोरम की तेलंगाना राज्य की आठ सदस्यीय समन्वय समिति का चयन किया गया। एस. नागेश्वर राव को समिति का संयोजक चुना गया।

सम्मेलन ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने की मांगों के लिए निम्नांकित प्रस्ताव पारित किये :

1. वन अधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासियों को पोडू भूमि का पट्टा दिया जाये।

2. वन संरक्षण कानून 1980 में किया गया नया संशोधन वापस लिया जाए।

3. पेसा तथा अनुसूचित द्वोत्रों के लिए सभी कानूनों पर अविलम्ब अमल किया जाए।

4. स्थानीय खदानों में स्थानीय आदिवासियों को रोजगार दिया जाए।

सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने सक्रियता से भाग लिया। आदिवासियों के संघर्षों को तेज करने के निश्चय के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

तिलौथू (सासाराम बिहार) : जमींदार द्वारा भूदान भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ रहे भूमिहीन किसानों पर हमला

बिहार के रोहतास जिला के तिलौथू अंचल में दशकों पूर्व भूदान यज्ञ समिति के तहत दान की गई जमीन पर भूमिहीनों को कब्जा देने से रोकने के लिए जदयू–भाजपा की नितीश कुमार सरकार की पुलिस, स्थानीय जमींदार और दबंगों का गठजोड़ बन गया है। इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) ने भी एक बार फिर संघर्ष तेज कर दिया है, जिससे सामंत के गुंडों और पुलिस के हमले शुरू हो गए हैं। प्रशासन की मिलीभगत और जमींदार के लठैतों ने 30 जून को भूमिहीन महिला मजदूरों व किसानों के प्रदर्शन पर बर्बर हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए।

भूमिहीन किसान मजदूर इस भूमि पर कब्जे के लिए लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। 30 जून 2024 को एआईकेएमएस की तिलौथू अंचल कमेटी ने भूदान की परती व खाली पड़ी 33 एकड़ 50 डिसिमल जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने और भूमिहीनों को कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा बार–बार केवल आश्वासन देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सभा का आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ो महिलाएं और पुरुष बूढ़ी माई मंदिर के पास एकत्र हुए थे। इसमें कई अन्य गांव से भी भूमिहीन मजदूर और किसान शामिल थे। सभा के दौरान ही अचानक तिलौथू हाउस के दर्जनों लठैतों ने महिलाओं और प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। महिलाओं को बचाते हुए तिलौथू अंचल कमेटी के अध्यक्ष कामरेड प्रमोद मेहता एवं कार्यकर्ता रुस्तम अंसारी सहित कई अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए।

बिहार के कई इलाकों में भूदान आंदोलन के तहत दान की गई जमीनों पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि दान की अधिकांश भूमि पर भूमिहीनों को 70 वर्ष बाद भी कब्जा नहीं मिल सका है। इस मामले में 1954 में तिलौथू के जमींदार राधा प्रसाद सिन्हा ने भूदान यज्ञ समिति को 62 एकड़ 50 डिसमिल भूमि दान दी थी, लेकिन बाद में उस पर कब्जा नहीं दिया गया। बाद के दिनों में वहां पैहारी बाबा का एक आश्रम 22 एकड़ भूमि पर बन गया। शेष 33 एकड़ भूमि को पूर्व जमींदार राधा प्रसाद सिन्हा के परिजनों ने दो दिशाओं से तार की घेराबंदी कर अवैध ढंग से कब्जा बना लिया। यही नहीं उक्त 33 एकड़ 50 डिसमिल भूमि के कुछ हिस्सों को फर्जी ढंग से स्थानीय दबंगों एवं लंपट तत्वों के नाम पर रजिस्ट्री भी कर दी गई। इसके खिलाफ एआईकेएमएस लंबे समय से उक्त भूमि पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने के लिए कानूनी प्रयास के साथ जिला प्रशासन से भी बातचीत करता रहा है।

प्रशासन की टालमटोल की नीति को देखते हुए 30 जून को सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में भूमिहीन जनता बूढ़ी माई मंदिर के पास एकत्र हुई और विरोध प्रदर्शन किया। तभी सामंत के लठैतों ने हमला कर दिया। लठैत कामरेड प्रमोद मेहता को अगवा कर ले जाने की कोशिश करने लगे, जिस पर महिलाओं ने प्रतिरोध किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। लठैत कामरेड मेहता को तिलौथू हाउस के मौजूदा जमींदार यशवीर सिन्हा के पंप हाउस पर ले गए और वहां भी उनके साथ मारपीट की। बाद में जमींदार ने पुलिस को फोन कर कामरेड प्रमोद मेहता पर पंप हाउस का मोटर चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने में लाई और फिर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले गई। साफ है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और उसने सामंत और उसके गुंडों के साथ मिल कर भूमिहीनों पर हमला कराया है। घटना की सूचना पाकर

जमींदार के गुंडों द्वारा हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

संगठन के जिला सचिव अयोध्या राम और जिला अध्यक्ष राजेश पासवान ने भूमिहीनों को साथ लेकर रोड जाम कर दिया। बाद में स्थानीय प्रशासन ने जाम हटवाने के लिए डेहरी से अनुमंडल अधिकारी एवं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी आए और आश्वासन देने के बाद सड़क से जाम हटवाया। उन्होंने एआईकेएमएस नेताओं को कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया और समाधान का आश्वासन दिया।

वहीं दूसरे दिन 1 जुलाई 2024 को उक्त भूमि के पास तैनात किए गए पुलिस कर्मियों की देखरेख में अतिक्रमणकर्ता और दबंगों ने उक्त दान की भूमि पर ट्रैक्टर चला कर अपना कब्जा जताया। रोहतास जिला कमेटी ने तिलौथू प्रशासन की भूमिका की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि भूमिहीनों को भूदान की जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया, तो पूरे क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तिलौथू स्टेट के नाम से कुख्यात यह जमींदार परिवार जमींदारी उन्मूलन के बाद भी सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए है, जिसमें भूदान एवं सरकारी भूमि का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। यही नही यह सामंती परिवार पूरे तिलौथू बाजार पर भी अपना दावा करता है और बाजार में दुकानदारों को तंग करता है और उनसे वसूली करता है। उसके साथ एक जाति विशेष के लंपट तत्वों का भी जमावड़ा है, जो उसके लठैत का काम करते हैं। आए दिन गरीब एवं कमजोर दुकानदारों के साथ मारपीट की जाती है। 7 वें दशक में इसी सामंती परिवार के लोगों ने गुंडों की मदद से सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। बिहार की सभी सरकारों और नौकरशाही के साथ इस परिवार के गहरे संपर्क रहे हैं। इसके चलते उसके खिलाफ उठने वाले हर विरोध को प्रशासन अपराधी बता कर कुचलता रहा है।

आज भी स्थानीय प्रशासन और सरकार इस सामंती परिवार के पक्ष में खड़ा है। यही कारण है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को समाप्त करने के और प्रशासन के साथ वार्ता में गए लोगों पर थाना अध्यक्ष ने सीपीआई एमएल– न्यू डेमोक्रेसी के अज्ञात 200 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 180/24 और मुकदमा संख्या 181/24 में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिला सचिव कामरेड अयोध्या राम सहित उन सभी लोगों को आरोपित किया है, जो अंचल कार्यालय में अनुमंडल अधिकारी डेहरी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में वार्ता करने के लिए गए थे। मुकदमा संख्या 182/24 में उक्त भूमि आंदोलन के नेता एवं सामंती हमले में घायल प्रमोद मेहता सहित अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम लिखे गए हैं। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं आंदोलनकारी भूमिहीनों के विरुद्ध रचे गए इस षड़यंत्र में नितीश कुमार सरकार के स्थानीय नेता भी शामिल हैं। भूदान की जमीन पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने के अलावा सामंती गुंडों से पीड़ित स्थानीय जनता और दुकानदारों के पक्ष में एआईकेएमएस ने जन आंदोलन का ऐलान किया है।

इफ्टू द्वारा भारत सरकार से कुवैत में मरे भारतीय मजदूरों को न्याय दिलाने की मांग

इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी ने कुवैत शहर के मंगफ में भीषण आग में भारतीय और अन्य श्रमिकों की मौत और घायल होने पर दुख और अफसोस व्यक्त किया है। आग में 49 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। इस दर्दनाक घटना ने इस तथ्य को भी उजागर किया है कि भारतीय श्रमिक मूल रूप से भारत में पर्याप्त नौकरियों और उचित वेतन की कमी के कारण वहां दरअसल कबूतर खाने जितनी जगह में ठुंस कर रहते हैं। जिस छह मंजिला इमारत में आग लगी वह एक सिविल निर्माण कंपनी एनबीटीसी की है। यह इमारत एक भारतीय के स्वामित्व में है और 195 कर्मचारी वहां "ठसाठस" भरकर रहते थे – जैसा कि मीडिया में कुवैत के रक्षा मंत्री द्वारा उनके अस्तित्व का वर्णन करने के लिए बताया है। मीडिया में आई जानकारी के अनुसार मृतकों में केरल के 5 मजदूर शामिल हैं और यहां रहने और काम करने वाले ज्यादातर भारतीय केरल और तमिलनाडु से थे।

भारत में अपने परिवारों को गरीबी और सामाजिक असमानता से बाहर निकालने के एकमात्र मार्ग के रूप में विदेशों में इन भयानक कार्य स्थितियों में उच्च वेतन को देखकर पलायन करने के लिए मजबूर भारतीय मजदूरों की भयानक त्रासदी समय–समय पर स्पष्ट रूप से दुर्घटनाओं और घटनाओं के द्वारा सामने आती हैं। परिवार जीवन भर टूटे–फूटे रहते हैं, जबकि एक पिता या नर्सों के मामले में एक माँ विदेश में जीवन भर कष्ट सहती रहती है। भारत सरकार उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के साथ बातचीत करने की जहमत नहीं उठाती है। बल्कि इसका एक उदाहरण हाल ही में इजराइल द्वारा भारत से निर्माण श्रमिकों की भर्ती है। यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित था, हालांकि यह स्पष्ट था कि श्रमिक केवल उचित वेतन के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे थे।

इफ्टू राष्ट्रीय कमिटी उन परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि वह घायलों का पर्याप्त और पूर्ण इलाज सुनिश्चित करे और इसका खर्च वहन करे, दो संबंधित परिवार के सदस्यों और शवों और घायलों को कुवैत से, जैसा भी मामला हो, मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीसीटी श्रमिकों को पूरा बकाया और मुआवजा दे और घायल भारतीय मजदूरों की नौकरियों और अधिकारों की भी रक्षा करे। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुवैत सरकार अपने कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसे प्रबंधनों पर मुकदमा चलाए। हम यह भी मांग करते हैं कि भारत सरकार कुवैत और अन्य विदेशी सरकारों के साथ सुरक्षित आवास और भारतीय मजदूरों के अधिकारों और जीवन की सुरक्षा के मुद्दों को उठाए।

ऐसी त्रासदियाँ हम भारत के मजदूर वर्ग के लिए एक आह्वान हैं कि हम न केवल नौकरियों, अधिकारों और वेतन के लिए बल्कि समाज के अन्य उत्पीड़ित वर्गों के साथ मिलकर एक जन पक्षीय भारत के निर्माण के लिए संघर्ष तेज करें।

(यह बयान इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी द्वारा 12 जून 2024 को जारी किया गया था।)

3 नये आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की मांग पर वकीलों द्वारा सभा

4 जुलाई 2024 को प्रगतिशील महिला संगठन लायर्स यूनिट ने 3 नए आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत के सेंट्रल हॉल के पास एक सभा का आयोजन किया। पी.एम.एस. लायर्स यूनिट

की संयोजन समिति और वकील सदस्यों सहित लगभग 100 वकीलों ने इसमें भाग लिया।

प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव एडवोकेट पूनम कौशिक ने इन कानूनों के कठोर प्रावधानों जिनका भारत के नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा को रेखांकित करते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की। बैठक को अधिवक्ता राजीव तेहलान ने भी संबोधित किया।

एक ज्ञापन, जिसमें मांग की गई कि बार एसोसिएशन को बीसीआई से नए कानूनों को निरस्त करने के लिए कहना चाहिए, उस पर पी एम एस संयोजक समिति के सदस्यों और कई अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर कर रोहिणी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को सौंपा।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पीएमएस वकीलों और उपस्थित अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इस मामले को सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की बैठक में उठाया जाएगा।

तमिलनाडु में ग्रामीणों के संघर्ष

धर्मपुरी 19 जून 2024। खेती की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ विरोध। उक्त सरकारी जमीन पर लम्बे समय से गांव के लोग खेती करते आ रहे है। परंतु फर्जी कागज दिखाकर भू माफिया दावा कर रहा है कि उसने जमीन खरीद ली है तथा जमीन पर हमला किया। उक्त विरोध में 80 किसानों ने भाग लिया। का. स्तालिनबाबू, का. इंलागो तथा आंध्र प्रदेश ए.आई.के.एम.एस. अध्यक्ष का. प्रभाकर ने पदर्शन में भाग लिया। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी परंतु एसिस्टैंट कलैक्टर तथा पुलिस सुपरिटेंडेंट को किसानों से बात करनी पड़ी।

कृष्णागिरी जिला 24 जून 2024। साल भर से खेती की जमीन से होकर जाने वाली मणिकोल परयोजना के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इस परियोजना के विरोध में अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए बड़ी संख्या में किसान कृष्णागिरी जिला मुख्यालय पर जमा हुए।

डोलू प्रतिरोध की कहानी

(पृष्ठ 3 का शेष)

ने 11 मई 2022 को क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधों की घोषणा की एवं अगले ही दिन आला अफसरों की अगुवायी में सशस्त्र पुलिस बल के साथ बुलडोजर लाए गए और पहले से चिन्हित क्षेत्र में 12 मई से 2 दिनों तक जबरदस्त बेदखली अभियान चलाया गया। असम विधान सभा में मंत्री जोगेन मोहन देव के अनुसार इस प्रक्रिया में 41,95,909 चाय के झाड़ों को उखाड़ा गया जैसा कि अपेक्षित था। हजारों छायादार पेड़ों को उखाड़ दिया गया जिसकी पुष्टि स्थानीय मजदूरों ने की। इस पूरे अभियान के दौरान मजदूरों को जबरन उनके घरों में बंद कर दिया गया। यह सब लगभग वैसा ही था जैसा हार्वे ने लिखा है – "भूमि लेना, घेरना व निवासियों को बेदखल करना ताकि भूमिहीन सर्वहारा वर्ग बनाया जा सके और फिर जमीन को पूंजी संचय की निजी मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए"।

मजदूरों ने अपना संघर्ष जारी रखा। उन पर पुलिस दमन तेज हुआ और सरकार अडिग रही। जून 2022 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसके तुरंत बाद चाय बगान के उप महाप्रबंधक ने लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया। सरकार ने मजदूरों के लिए मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये देने की घोषणा की। उसी समय ए.ए.आई. ने साइट क्लियरेंस अनुमोदन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव पेश किया। इसके लगभग सात महीने बाद पहली बार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) करने के लिए निविदा आवेदन आमंत्रित किये गये !

ए.एम.एस.यू. नेताओं ने कोलकाता में स्थित एन.जी.टी. की पूर्वी पीठ के समक्ष अपील की योजना बनाई। कोलकाता के साथी मदद के लिए आगे आए एवं 14 संगठनों ने सितम्बर 2023 में असम भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। डोलू के मजदूरों और इस आन्दोलन के नेताओं ने इस प्रदर्शन में भागीदारी की। चाय के पेड़ों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ एक शोध किया गया। संसद में प्रश्नों के द्वारा आरटीआई के द्वारा अनेक दस्तावेज एकत्र किये गये और एनजीटी के समक्ष 3 संगठनों द्वारा याचिका दाखिल की गई। जैसा अपेक्षित था एनजीटी ने तुरंत इस अपील को खारिज कर दिया – आखिर विकास को कोई नहीं रोक सकता! इसके बाद 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले चरण को अनुमति दे दी।

अधिवक्ता प्रशान्त भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के फैसले को चुनौती दी और न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने सारे मामले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए हवाई अड्डे के काम को रोकने तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता याचिकाकर्ताओं पर ही बरसने लगे और इनके इरादों को खतरनाक बताते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की गुहार लगाने लगे।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत कछार के डी.एल.एस.ए. ने इलाके का दौरा किया तथा तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ताओं के हर दावे का समर्थन करते हुए एक रिपोर्ट पेश की। इसके बाद असम सरकार व भारत सरकार ने भी कदम पीछे खींचे। सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के पूर्व की स्थिति के आधार पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने का आदेश दिया और ई.आई.ए. को मंजूरी मिलने तक प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आदेश में यह भी कहा "किसी विशेष स्थान पर हवाई अड्डा स्थित है या नहीं यह नीति का मामला है। जब कानून में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एक खास मानदंड निर्धारित किये गये हैं तो उन प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।"

इस ऐतिहासिक फैसले का इसी प्रकार की अन्य सरकारी व निजी निकाय द्वारा संचालित योजनाओं व परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा ये फैसला न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है बल्कि मजदूरों एवं पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकता है। विगत कुछ वर्षों में यह एक अभूतपूर्व घटना है तथा इस फैसले के प्रभाव को वामपंथी महसूस भी कर रहे हैं। इस फैसले का उपयोग कारपोरेट द्वारा जमीन हड़पने, संसाधनों पर कब्जा करने की किसी भी परियोजना के खिलाफ किया जा सकता है।

(यह लेख न्यू डेमोक्रेसी के जून 2024 अंक में प्रकाशित लेख का हिन्दी अनुवाद है। अनुवाद में लेख को कुछ संक्षिप्त किया गया है।)

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

_____

_____

_____

_____

_____

_____

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार